न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **186/2021**

प्रार्थीगण :–

1. गणपतलाल पुत्र शंकरलाल
2. राधेश्याम पुत्र शंकरलाल
3. महेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल
4. मु. तीजो पत्नी शंकरलाल
5. खीमा पुत्र जगरूपाराम जातियान खारवाल निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. बाणाराम पुत्र रामाराम
2. कानाराम पुत्र रामाराम
3. मानाराम पुत्र रामाराम
4. दानाराम पुत्र रामाराम
5. सदाराम पुत्र रामाराम
6. दौलाराम पुत्र रामाराम जातियान भील
7. स्व. राणाराम पुत्र रामाराम के वारिसान
   7/1. भंवरलाल पुत्र बादराराम
   7/2. ओमप्रकाश पुत्र बादराराम
   7/3. प्रेमप्रकाश पुत्र बादरराम
   7/4. राजूराम पुत्र बादरराम
   7/5. किशोर पुत्र बादरराम
   7/6. मुस्मात तुलछी पत्नी बादराराम
   7/7. मीना पुत्री बादराराम जातियान भील
8. स्व. नवाराम पुत्र रूगनाथराम के वारिसान
   8/1. लक्ष्मणराम पुत्र नवाराम
   8/2. सोहन पुत्र हरीराम
   8/3. महेन्द्र पुत्र हरीराम
   8/4. भीखाराम गोदपुत्र मीठालाल
   8/5. मुस्मात नारायणी पत्नी मीठालाल
   8/6. मनोज कुमार पुत्र महेश कुमार
   8/7. मुस्तात तुलछीदेवी पत्नी महेश कुमार जाति भील निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते लट्ठा ट्रेस में खेतो की सीमायें सही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:50 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री रमेश कुमार गौड, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी संख्या 1 ता 6,7/1 ता 7/7 व 8/1 ता 8/7 :– एकतरफा
3. विप्रार्थी संख्या :– 9

'आदेश दिनांक :– .12.2022

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का यह प्रकरण ग्राम सिंधियों की ढाणी (मंडापुरा) तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 97 व उसके मीन नम्बर 1825/97 तथा खसरा संख्या 98 व उसके मीन नम्बर 98/975 की लट्ठा ट्रेस मे खेतो की सीमाऐं व भू–प्रबंध के पश्चात नक्शे में खींची गई तरमीम की लाईन का दुरस्त करने से सबंधित है, इस आवेदन के माध्यम से पक्षकारान के खातेदारी रकब मे किसी प्रकार परिवर्ततन नहीं चाहा गया है । मूल अविभाजित खेत खसरा संख्या 97 का रकबा 66.00 बीघा है।

भू–प्रबन्ध के पश्चात यह खेत दो भागो मे निम्न प्रकार बंट गया :–

खसरा संख्या	रकबा	मौजूदा खोतदार
97	32–10 बीघा	विप्रार्थी संख्या 8/1 से 8/7
1825/97	33–10 बीघा	विप्रार्थी संख्या 1 से 7

उसी प्रकार अविभाजित खसरा संख्या 98 का मूल रकबा 61 बीघा 07 विस्वा था, जो भू–प्रबंध के समय ही निम्न अनुसार दो भागो में बंट गया

खसरा संख्या	रकबा	मौजूदा खोतदार
98	16–18 बीघा	प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 हिस्सा 1/2
98/975	44–09 बीघा	विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 हिस्सा 1/2

कुल 61–07 बीघा।

इस प्रकार दोनों ही मूल खसरो अर्थात खसरा नम्बर 97 व 98 मय मीन नम्बरान की प्रमाणित खतौनियो की नकले संलग्न है । मूल खसरा संख्या 97 व 98/975 एक दूसरे के समपर्शी है, भू प्रबंध के [illegible] शा मोमीट्रेस बना, उसमे खसरा संख्या [illegible] (98/975) के मध्य माठ कायम नही की गई यानि इन दो[illegible] खेतो के मध्य नक्शे मे सीमा लाईन यानि पश्चिमी भूजा बंदोबस्त विभाग द्वारा नही डाली गई तथा राजस्व भू–अभिलेख तैयार करते समय पटवारी के पास

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

28.12.2022
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:50 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध नक्शे मे भी सीमा लाईन न डालकर डॉट–डॉट (....) डाल दिया गया, नकल मोमीट्रेस व नकल लट्ठा ट्रेस की नकले संलग्न किया गया। खसरा संख्या 97 व 98/975 के मध्य भू प्रबंध विभाग द्वारा सीमा लाईन न डालने से खातेदारी रेकर्ड (खतौनी) व लट्ठा ट्रेस (नक्शा) मे खातेदारी रकबे की एक रूपता समाप्त हो गई है । अन्त मे कथन किया कि खसरा संख्या 97 व 1825/97 दोनो का रकबा 66.00 बीघा तरमीम लाईन मूल खसरा संख्या 97 मे कायम की जावें व खसरा संख्या 98/975 जिसका खातेदारी रकबा 44 बीघा 09 बिस्वा है की पश्चित भूजा नक्शे मे कामय करवाई जाये । इस भूजा के कायम होने से किसी भी रेकर्ड खातेदार के खातेदारी रकबे पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा तथा लट्ठा ट्रेस दुरस्त हो जाऐगा व खातेदारी खतोनी व लट्ठा ट्रेस मे एकरूपता आ जावेगी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6, 7/1 ता 7/4 व 8/1 ता 8/3 व 3 स्वंय उपस्थित हुए किसी प्रकार का उज्र एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया । आदेशिका मे अपने हस्ताक्षर अंकित किये व उसके बाद लगातार असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं हुए । प्रशासन गांवो के संग अभियान मे प्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 व विप्रार्थी संख्या 2 ता 6, 7/1 ता 7/5 व 8/1 ता 8/3 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व उसके बाद लगातार अनुपस्थि[illegible] संख्या 8/4 व 8/5 भी उपस्थित व कि[illegible] उसके बाद अनुपस्थित विप्रार्थी संख्या 1, 8/6 व 8/7 को सु[illegible] का पर्याप्तम अवसर देने के बाद भी उपस्थित नही, इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 1 ता 6, 7/1 ता 7/7 व विप्रार्थी संख्या 8/1 ता 8/7 द्वारा उपस्थित नहीं होंने, उपस्थित होकर उज्र एतराज प्रस्तुत नही कर लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी तहसीलदार पचपदरा को मौका एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी कि गयी। तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमाक–भू.अ/2022/5329 दिनांक 09.12.2022 द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई । मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 97 व 98/975 की मध्य माट की नक्शे व मौके की स्थिति मे अन्तर है मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार माटें अलग स्थित है जबकि नक्शा लाट्ठा ट्रेस मे खसरा संख्या 97 व 98/975 की माठ जो डॉटेड दर्शाई गई है वह मौके से अलग है । पक्षकारान के बताए अनुसार वर्तमान मौके की स्थिति व प्रस्तावित संशोधन (लाल स्याही से) का प्रस्तावित नक्शा दुरूस्ती का नजरी मानचित्र फर्द मौका के साथ संलग्न पेश किया गया ।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गयी । विप्रार्थी संख्या –9 तहसीलदार पचपदरा उपस्थित । प्रार्थीगण वकील ने दौरोने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131,136 आर.एल.आर मौजा सिधियों की ढाणी (मंडापुरा) तह0 पचपदरा के खसरा संख्या 97, 1825/97, 98 व 98/975 से सम्बन्धित है । जिसमे खसरा संख्या 97 व 98/975 की माठ जो डोटड दर्शायी गयी है की पश्चिमी भुजाए कायम कर तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया । विप्रार्थी संख्या –9 द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण वकील की बहस व विप्रार्थी संख्या –9 तहसीलदार पचपदरा को सुना व अन्य विप्रार्थीगण न्यायालय समक्ष उपस्थित हुए उनकी तरफ से कोई उज्र एतराज व आपत्ति नही पेश नहीं कि जो उनकी मौन स्वीकृति प्रतीत होती है । व बहस पर मनन किया पत्रावली व पत्रावली के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

28.12.2022

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संलग्न दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का अवलोकन समूचित स्थिति के विवेचन करने के उपरान्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, के मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा सिधियो की ढाणी (मंडापुरा) पटवार हल्का पचपदरा , भू.नि पचपदरा के खेत खसरा संख्या 97, 1825/97, 98 व 98/975 मे प्रस्तावित तरमीम मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा मे वर्णित स्थित अनुसार तरमीम कर राजस्व रेकर्ड मे अंकन/दुरूस्ती की कार्यवाही विधिनुसार करे । खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास 28.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:50 IST
Reason: SelfAttested